

अनुबन्ध – “क”

(संशोधित)

मुख्यमंत्री कन्या दान योजना के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र

(1) प्रार्थी (लड़की)का नाम:

प्रार्थी का
फोटोग्राफ

(2) जाति:

(3) जन्म तिथि:

(4) पिता/माता/संरक्षक का नाम:

(5) प्रार्थी का स्थाई पता: गांव ————— डांग —————

पिन कोड ————— पंचायत —————

तहसील ————— जिला —————

(6) प्रार्थी का वर्तमान पता : गांव ————— डांग —————

पिन कोड ————— पंचायत —————

तहसील ————— जिला —————

प्रार्थना—पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएः—

1. लड़का तथा लड़की के आयु का प्रमाण।
2. लड़का तथा लड़की का हिमाचली प्रमाण—पत्र जो सम्बन्धित राजस्व अधिकारी से जारी हो।
3. लड़की के माता/पिता का वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित राजस्व अधिकारी से जारी हो।
4. विवाह की निर्धारित तिथि का प्रमाण—पत्र जो ग्राम पंचायत/शहरी निकायों से जारी हो।
5. यदि विवाह हो चुका है तो विवाह पंजीयक से जारी प्रमाण—पत्र की प्रति।

सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी की सत्यापन रिपोर्टः—

प्रमाणित किया जाता है कि

कु0/श्रीमति————— पुत्री/पत्नी————— ग्राम
————— डा0 —————— तहसील —————— जिला ——————

हि0प्र0 के द्वारा प्रार्थना पत्र में दिये गये पूर्ण तथ्यों की जांच की गई तथा योजना के प्रावधानों के अनुरूप पात्र है

| अतः प्रार्थी को **मुख्यमंत्री कन्या दान योजना** के अन्तर्गत सहायता राशि स्वीकृत करने की सिफारिश की जाती है।

हस्ताक्षर

बाल विकास परियोजना अधिकारी दिनांकः—

(मोहर सहित)

(7) प्रार्थी (लड़की) के बैंक खाता संख्या तथा शाखा का नाम :

(8) प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता

(9) लड़के का नाम व पता जिसके साथ विवाह निर्धारित हुआ है या हो चुका है:

नाम पिता का नाम जाति

गांव ----- डां0 ----- पिन कोड -----

पंचायत-----तहसील-----जिला -----

(10) लड़के की जन्म तिथि:

(11) लड़के का वर्तमान व्यवसाय:

(12) लड़के की शैक्षणिक योग्यता

प्रार्थी के हस्ताक्षर/ अंगुठे का निशान

घोषणा

मैं ----- पुत्री -----

गांव ----- डां0 ----- तहसील -----

जिला ----- सत्यानिष्ठा लेकर अपने ज्ञान अनुसार यह घोषणा करती हूँ कि उक्त विवरण तथा तथ्य पूर्णतः सही है । इनमें कोई ऐसा तथ्य असत्य नहीं है और न ही इसमें कोई भी तथ्य छुपाया गया है ।

प्रार्थी के हस्ताक्षर/ अंगुठे का निशान